सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस**

**अपील संख्याः 87/15** **निर्णय दिनांक**

1. जसकरण पुत्र गोरधनदास जाति महाजन करनाणी निवासी ग्राम रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

**–बनाम–**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नोखा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा**
**दिनांक 02.06.2015**

**उपस्थितः**
1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय दिनांक 02–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि डिफेक्ट में खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

**3.** **(ए)** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम रोड़ा के प्रथम सेटलमेंट में मूल खसरा नम्बर 202 थे जिस पर प्रारम्भ से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी खसरा नम्बर 903/202 व 902/202 तादादी 10.53 हेक्टर है जिसके वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 820 में 0.69 हेक्टर व 821 में 9.84 हेक्टर दर्ज किये गये। उक्त मूल खसरा नम्बर के नक्शा में किसी प्रकार का कदमी या कटाणी रास्ता मौजूद नहीं ह और ना ही आज कोई रास्ता चालू है। पैमाईश में बने नक्शे व उसके मुताबिक 50 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे वादी के कब्जा काश्त भूमि के अनुरूप अंकन ना नहीं करके वादी की भूमि पश्चिम दिशा की भूमि को मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं दर्शाकर नजरी नक्शे में नारंगी रंग से

दर्शाया गया है। और भूमि को कम करके वादी के खेत की पश्चिम सीमा की सींव को सीधी बता कर कम कर दी गई। इसी प्रकार दक्षिण दिशा व दक्षिणी पूर्व कूंट की सीमा को कमकर दी गई और गलत रूप से खेत के पुराने नक्शे के विपरीत जाकर नये नक्श में उत्तर पूर्वी दिशा में वादी की भूमि का अंकन कर दिया गया। जिसका अधिकारी सेटलमेंट अधिकारी को नहीं था। अदालत मातहत में वादी द्वारा सही अंकन की घोषणा कराकर दुरूस्ती का दावा पेश किया गया।

**(बी)** उन्होंने आगे बताया कि उक्त दावें को न्याय आपके द्वार कैम्प में दिनांक 02—06—2015 को सुनवाई हेत रखा गया। वादी उक्त दिनांक को उपस्थित हुआ। जिस पर निर्णय नियत तारीख पेशी पर सीताराम एडवोकेट की उपस्थिति बताकर दावा पड़ौसी खसरा नम्बर 818 के खातेदार सोहनलाल पुत्र छगनलाल को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर डिफेक्ट में खारिज कर दिया गया। जो स्वतः शून्य व विधि वर्जित आदेश होने से खारिज योग्य है। क्योंकि ना तो दावे में उक्त खसरा बाबत् कोई अनुतोष चाहा गया है और ना ही उक्त खसरा के खातेदार द्वारा कोई दावा में आपत्ति बताई गई है। स्टेट द्वारा भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के उक्त कथन को कोई आधार प्राप्त हो। पत्रावली तलबी में चल रही थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया आदेश है। जिस निरस्त किया जावे।

**4. (अ)** विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज किया गया अपीलांट द्वारा पड़ौसी खसरा नम्बर 818 के खातेदार सोहनलाल पुत्र छगनलाल को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो कि इस वादपत्र में आवश्यक है, क्योंकि वादपत्र कुसंयोजन (दुराभिसंधि) का है। वादी संशेधित नवीन दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। जब अदालत मातहत द्वारा स्वयं यह अंकित किया है कि वे नवीन दावा पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त अपील के स्थान पर अदालत मातहत के समक्ष ही पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए नवीन दावा प्रस्तुत करन चाहिए था। अपीलांट इस अपील के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

**5.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

**6. (1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को ग्राम रोड़ के मूल खसरा नम्बर 202 थे जिस पर प्रारम्भ से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी खसरा नम्बर 903/202 व 902/202 तादादी 10.53 हेक्टर है जिसके वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 820 में 0.69 हेक्टर व 821 में 9.84 हेक्टर दर्ज किये गये। अपीलांट द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर नये नक्शे में सीमाओं के सही अंकन की घोषणा कराकर दुरूस्ती का दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा वादी का दावा इस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है कि चूंकि वादपत्र कुसयोंजन से संबंधित है। जिसमें वादी ने अपने खेत पड़ौसी सोहनलाल पुत्र छगनलाल को जो की प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना चाहिए था, को इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है। अतः वादी का यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए, 1955 डिफेक्ट में खारिज किया जाता है व वादी संशोधित नवीन दावा पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।

(3) चूंकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया है कि वादी पड़ौसी खातेदार सोहनलाल पुत्र छगनलाल जो कि मामलें के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक पक्षकार है, जिसको अपीलांट/वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। जब अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने आदेश में यह माना गया है कि अपीलांट/ /वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पड़ौसी खातेदार को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादी का दावा डिफेक्ट में खारिज नहीं करते हुए तत्समय ही अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे, क्योंकि प्रकरण में अपीलांट/वादी अदालत मातहत के आदेश के अनुसार नवीन दावा भी पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत करता या अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मामलें में संशोधन करते हुए पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाता तो भी मामलें के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना था क्योंकि वाद वस्तुतः अपीलांट के खेत खसरा नम्बरान् के सीमाज्ञान से संबंधित है। जिसमें पड़ौसी काश्तकार को पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलांट द्वारा वादपत्र में पड़ौसी काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना अदालत मातहत के समक्ष वादगत् आराजी की सही वस्तुस्थिति सामने नहीं आ सकती।

(4) जहॉ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, चूंकि मामला सीमाज्ञान से संबंधित है जिसमें पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत हाजा को केवल मात्र यह तय किया जाना है कि अपीलांट/वादी अदालत मातहत के समक्ष पूर्व दावें में संशोधन करते हुए पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए वाद का निस्तारण किया जावे अथवा अदालत मातहत के आदेशो के अनुरूप पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए नवीन दावा प्रस्तुत किया जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब अपीलांट/वादी द्वारा पूर्व में अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में नवीन दावा प्रस्तुत करने के बजाय तत्समय ही अदालत मातहत को पड़ौसी खातेदार को आवश्यक पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे क्योंकि इस कृत्य से मामलें के तथ्यों व गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना था।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट शिविर ग्राम पंचायत मु.रोड़ा में सुनाया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र मामलें को निपटाने की दृष्टि से वाद का निर्णय संक्षिप्तः रूप से पारित किया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 818 के पड़ौसी खातेदार सोहनलाल पुत्र छगनलाल को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर